भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1056
बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

विश्वव्यापी महामारी के दौरान नौकरी छूट जाना

1056. श्री तिरुची शिवाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020-21 का रोजगार संबंधी आंकड़ा क्या है और वर्ष 2019-20 की तुलना में इसमें क्या परिवर्तन आए हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय के पास ऐसे लोगों का रिकॉर्ड है, जिनका विश्वव्यापी महामारी के दौरान रोजगार छूट गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह रिकॉर्ड कब तक उपलब्ध होगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण जुलाई से जून तक वार्षिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं एवं देश में यह रोजगार/बेरोजगारी के परिदृश्य हेतु संकेतक प्रदान करता है। सर्वेक्षण परिणाम सामान्यतः सर्वेक्षण पूर्ण होने के एक वर्ष के उपरांत उपलब्ध होते हैं।

2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 47.3% एवं 50.9% है। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर क्रमशः 5.8% एवं 4.8% है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मासिक पे-रोल डेटा दर्शाता है कि कोविड -19 महामारी के बावजूद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाता आधार वर्ष 2020-2021 के लिए संचयी निवल पे-रोल वृद्धि 77.08 लाख है, जो कि पिछले वर्ष (78.58 लाख) के लगभग बराबर है। यह देखा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के महीने को छोड़कर 2020-21 के प्रत्येक माह में ईपीएफओ अंशदाता आधार द्वारा दर्शाए गए शुद्ध पे-रोल में वृद्धि हुई है।

*****